

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु  
क्षेत्रीय रिषिया

क्रमांक : प्र.गा.स./2021/ 200

दिनांक : 23-11-2021

निर्णय:-

प्रार्थी श्री.....नेमीचन्द्र.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....चन्द्रशरण.....  
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम.....महारावणसर.....पटवार मण्डल.....खण्डवा प. पीवीसर.....  
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्बत्.....२०७१-७५.....के खाता संख्या 60,115.....में  
खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति.....जिमारास.....अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है।  
जिसे सम्मानजनक रूप से.....नेमीचन्द्र.....अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन  
पत्र की जांच पटवारी हल्का.....खण्डवा प. पीवीसर.....से करवाने पर पटवारी ने.....जिमारास.....के  
बजाय.....नेमीचन्द्र.....करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में.....जिमारास.....  
के बजाय.....नेमीचन्द्र.....करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम  
369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम.....महारावणसर.....  
के खाता संख्या 60,115.....में खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति.....जिमारास.....  
के स्थान पर सम्मानजनक रूप से.....नेमीचन्द्र.....दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार,  
चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।



  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी,  
(Land Record Officer)  
चूरु



मा.स.  
966  
23-11-21